बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 227 ● नई दिल्ली ● बुधवार 10 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में हादसा : यमुना विहार के फूड आउटलेट में लगे एसी में ब्लास्ट, पांच लोग घायल

नई दिल्ली । दिल्ली के यमुना विहार में बीती रात एक हादसा हो गया। जहां एक फूड आउटलेट के ग्राउंड फ्लोर पर लगे एसी के कम्प्रेसर में अचानक धमाका हुआ। इस घटना में पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली फायर सर्विस को देर रात इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तत्काल तीन दमकल की गाड़ियां भेजी। फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन धमाके के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी को विस्फोट का कारण माना जा रहा है। लेकिन, पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

दिल्ली पर अब बिजली संकट! गर्मी-उमस से बढ़ी मांग, हीट इंडेक्स 46-50 डिग्री तक पहुंचा; सीएसई की रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली ।

दिल्ली में इस गर्मी में तापमान और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव (हीट इंडेक्स) में वृद्धि के कारण ठंडक रखने वाले उपकरणों की मांग और बिजली की खपत बढ़ाई है। मानसून के दौरान हीट इंडेक्स 46-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे बिजली की मांग में 67 प्रतिशत तक का बदलाव देखा गया। यह खुलासा विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने अपने हालिया अध्ययन में किया है। इसके मुताबिक रातों में ठंडक की कमी और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव के चलते जन स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। अध्ययन के अनुसार, मार्च से मई के मानसून-पूर्व महीनों में हीट इंडेक्स 31-32 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन जून से अगस्त में यह 46-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे शीतलन उपकरणों का उपयोग बढ़ा, जिसने बिजली की मांग को रिकॉर्ड स्तर तक ले गया। 2025 की गर्मियों में दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग 8,442 मेगावाट तक पहुंची, जो पिछले साल के 8,656 मेगावाट के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हीट इंडेक्स वह पैमाना है, जो तापमान और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव को मापता है, यानी मौसम इंसान को कितना गर्म महसूस होता है।

सीएसई का विश्लेषण बताता है कि मानसून के दौरान उच्च आर्द्रता ने दिल्ली को दमघोंटू बना दिया। जून-अगस्त में हीट इंडेक्स 46-50 डिग्री सेल्सियस तकपहुंचा, जिससे एयर कंडीशनर और कूलर जैसे

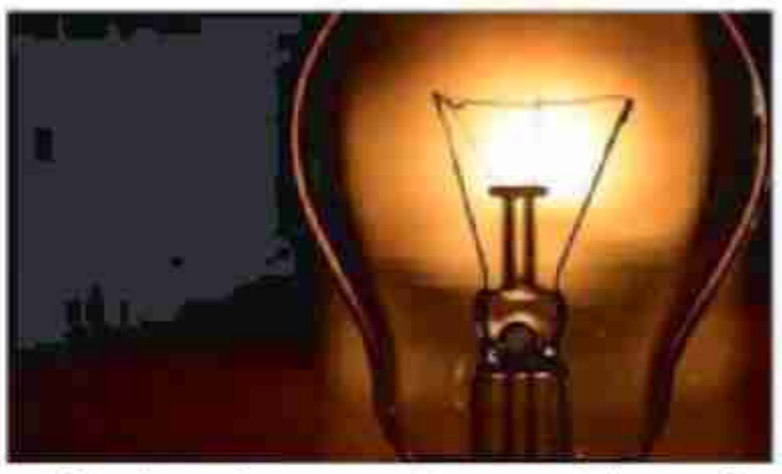

ठंडक देने वाले उपकरणों का उपयोग बढ़ा। नतीजा बिजली की मांग में 67 फीसदी बदलाव सीधे गर्मी और आर्द्रता से जुड़ा। रातें अब ठंडी नहीं रहीं। शहरी हीट आइलैंड प्रभाव के कारण कंक्रीट की इमारतें और सड़कें दिन की गर्मी को रात में भी बरकरार रखती हैं। 2025 में रात का भूमि सतह तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है।

गर्मी, उमस और बिजली का संकट

- बिजली मांग में उछाल- 2025 में अधिकतम मांग 8,442 मेगावाट (12 जून) तक पहुंची, जो 2024 के 8,656 मेगावाट से थोड़ा कम है।
- रातें गर्म, ठंडक कम- रात के समय भूमि सतह का तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है।
- 67 फीसदी मांग का कारण- बिजली की दैनिक अधिकतम मांग का 67 फीसदी हिस्सा गर्मी और आर्द्रता से प्रेरित है।
- स्वास्थ्य जोखिम- गर्म रातों और हीट आइलैंड प्रभाव से निर्जलीकरण, थकावट और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा।

समाधान के लिए कार्य योजनाएं

- हीट इंडेक्स और बिजली मांग के बीच संबंध को शामिल कर ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करें।
- ऊर्जा दक्षता- इमारतों में निष्क्रिय शीतलन, बेहतर इन्सुलेशन और ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा।
- शहरी हरियाली- कंक्रीट कम कर, हरे-भरे क्षेत्र और जलाशय बढ़ाएं।
- जागरूकता और आश्रय- किफायती आवासों में तापीय आराम और कम आय वर्ग के लिए शीतल आश्रय स्थल बनाएं

दिल्ली में गर्मी और आर्द्रता का संयोजन बिजली की मांग को बढ़ा रहा है, जिससे ग्रिड पर दबाव पड़ रहा है।

रातें भी गर्म हो रही हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। कंक्रीटीकरण, हरियाली की कमी और जलवायु परिवर्तन इसकी प्रमुख वजह है। -अनुमिता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, सीएसई।

आतिशी की सीएम रेखा गुप्ता से अपील, बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया जाना चाहिए मुआवजा

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को 18,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। आतिशी ने किसानों के लिए भी मुआवजे की मांग की और कहा कि उन्हें फसल नुकसान के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से राहत दी जानी चाहिए। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों की ओर से, मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील करती हूँ कि वे प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक वयस्क सदस्य को 18,000 रुपये की आर्थिक सहायता और संपत्ति के नुकसान का मुआवजा प्रदान करें। सभी बाढ़ प्रभावित छात्रों को किताबें और स्टेशनरी दी जानी चाहिए। दिल्ली में प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रभावित परिवारों के लिए बाढ़ राहत स्थलों पर शिविर लगाए जाने चाहिए ताकि वे बाढ़ में खोए किसी भी मूल आधिकारिक दस्तावेज़ की प्रतियां प्राप्त कर सकें।

पिछले हफ़्ते, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने पुराने यमुना पुल के पास बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बचाव और राहत कार्यों का जायज़ा लिया। उन्होंने फंसे हुए मवेशियों को बचाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मिश्रा ने कहा कि ये गायें गौशाला से यहाँ लाई गई थीं; ये बाढ़ में फँस गई थीं। फ़िलहाल यहाँ 300 गायें हैं, और आज रात और कल भी, इन सभी गायों को गौशाला में पहुँचा दिया जाएगा,। उन्होंने आगे बताया कि प्रभावित परिवारों के लिए व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अधिकारी, एसडीएम और डॉक्टर मौजूद थे। 5 सितंबर को, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सिविल लाइंस का दौरा किया और नागरिकों से बाढ़ की खबरों से घबराने की अपील नहीं की। वर्मा ने कहा, सिविल लाइंस इलाके में पानी की एक बूँद भी नहीं है। रिंग रोड से सटी सर्विस रोड सड़क के स्तर से 8 से 10 फीट नीचे है और बारिश का पानी पंप करके निकाला जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली यमुना नदी में डूबी हुई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान से नीचे आ गया, जिससे कई दिनों से बाढ़ की आशंका के बाद राहत मिली। पुराने यमुना पुल से ली गई तस्वीरों में नदी 205.30 मीटर से नीचे बह रही है।

हिमाचल-पंजाब बाढ़ पर पीएम मोदी का बड़ा बयानः संकट की घड़ी में केंद्र पीड़ितों के साथ

नई दिल्ली ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के एक दिवसीय दौरे पर रवाना हुए और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़े रहने की केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। हिमाचल प्रदेश से अपने दौरे की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया। इसके बाद वे पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय चर्चा की और चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित स्थानीय निवासियों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और आपदा मित्र टीमों के कर्मियों से भी बातचीत की। दिल्ली से रवाना होने से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, भारत सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले गुरदासपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पंजाब इस समय हाल के दशकों की सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक से जूझ रहा है। सतलुज, व्यास और रावी नदियों के उफान के साथ-साथ मौसमी नालों ने राज्य के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने उम्मीद जताई कि केंद्र बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब पिछले 20-25 दिनों से बाढ़ की चपेट में है। कल प्रधानमंत्री मोदी पंजाब आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल वह पंजाब को राहत पैकेज देंगे। बाढ़ से हुए नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 20,000 करोड़ रुपये है। अमन अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस कठिन समय में पंजाब के लोगों के साथ खड़े होंगे...आपदा राहत के रूप में पंजाब को 20,000 करोड़ रुपये का न्यूनतम पैकेज दिया जाना चाहिए और लंबित 60,000 करोड़ रुपये भी पंजाब को दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे।

दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में चार मंजिला इमारत ढही, कई वाहनों पर गिरा मलबा, 14 लोगों का रेस्क्यू

नई दिल्ली । सब्जी मंडी थाना इलाके में सोमवार देर रात एक चार मंजिला जर्जर मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दो सौ गज में बना यह मकान काफी दिन से खाली पड़ा था और घटना के समय भी उसमें कोई मौजूद नहीं था। दमकल विभाग के मुताबिक रात करीब 3.05 बजे सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल, स्थानीय पुलिस के साथ बचाव और राहत की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने उस समय राहत महसूस की जब पता चला कि निगम ने जर्जर इमारत को खतरनाक घोषित किया हुआ था और इसमें कोई रह रहा था। मलबे की चपेट में आने से आस पास खड़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। मलबा की वजह से आस पास के घरों में फंसे कुछ लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला।

वाहनों के लिए खोला गया पुराना लोहा पुल, यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद से था बंद

नई दिल्ली। दिल्ली के लोगों को लिए राहत भरी खबर है। यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद मंगलवार यानी 9 सितंबर को पुराना लोहा पुल को वाहनों के लिए खोल दिया गया है।

इससे पहले, यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया था। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अभी तक लोहा पुल के पास लगे टेंट को नहीं हटाया गया है क्योंकि यहां अभी भी बाढ़ से प्रभावित लोग रह रहे हैं।

मयूर विहार फेज-1 में लगाए गए अतिरिक्त टेंट

यमुना के जलस्तर से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने सुविधाएं बढ़ा दी हैं। मयूर विहार फेज-एक और डीएनडी के पास 20 टेंट अतिरिक्त लगाए गए हैं। ताकि लोगों को परेशानी न हो। बारिश की वजह से

लोगों को काफी समस्या हो रही थी। लोग इंतजार में हैं खादर में पानी खादर क्षेत्र में कब कम होगा और वह अपने घरों को लौटेंगे। मयूर विहार विहार फेज-एक में राहत शिविर में रह रहे शिव शंकर ने बताया कि पहले प्रभावित लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। प्रशासन से शिकायत की गई थी। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए टेंट की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अधिकतर टेंट में लाइट दी गई है। पुराना लोहा पुल के पास टेंट में रह रहे संदीप ने कहा कि यमुना का जलस्तर घटने लगा है। खादर क्षेत्र में पानी घट रहा है। वहां पानी घटते ही लोग अपना सामान लेकर वापस झुग्गियों में चले जाएंगे।

बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं - अजय कुमार

उत्तर पूर्वी जिलाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि जल स्तर से प्रभावित हुए लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके रहने व खाने-पीने समेत अन्य सुविधाएं प्रशासन ने उपलब्ध करवाई हुई है। वह खुद एसडीएम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। राहत शिविरों में जा रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं। दिन व रात दोनों समय में प्रशासन के अधिकारी लोगों की सुविधा के लिए हाजिर हैं। जिलाधिकारी ने हिदायत दी कि जल स्तर भले ही घट रहा है, लेकिन यमुना के किनारे पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लोग अभी बोटिंग न करें।

सजा पूरी, फिर भी रेपिस्ट को जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को दिया 25 लाख मुआवजा देने का निर्देश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक कैदी को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद भी चार साल सात महीने तक जेल में बंद रहा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस घटना को बेहद चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि यह मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जिसे किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता। बेंच ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कैदियों को सजा पूरी होने या जमानत मिलने के बाद भी जेल में रखना गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि प्रदेश की सभी जेलों में सर्वे कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई कैदी अपनी तय सजा से अधिक न रहे। यह मामला सोहन सिंह नामक कैदी से जुड़ा है, जिसे 2005 में सागर जिले की खुर्ई अदालत ने रेप, घर में घुसपैठ और धमकी के मामले में दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, 2017 में हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की कमियों का हवाला देते हुए उसकी सजा को घटाकर सात साल कर दी। बावजूद इसके, सोहन सिंह को जेल से रिहाई नहीं मिली और उसने तय सजा से करीब 4.7 साल ज्यादा जेल में बिताए। सोहन सिंह की ओर से अधिवक्ता महफूज अहसन नाजकी ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने भ्रामक हलफनामे दाखिल किए, जिनमें अतिरिक्त कारावास की अवधि को गलत तरीके से बढ़ाकर बताया गया। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और जवाबदेही तय करने की बात कही। यह मामला न केवल सरकारी लापरवाही का उदाहरण है बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रशासनिक चूक कैसे किसी व्यक्ति के जीवन और मौलिक अधिकारों पर गहरा असर डाल सकती है।

भ्रष्टाचार रोकने वाला कानून हो पाएगा पास?

उमेश चतुर्वेदी ।

संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 संसद के मानसून सत्र के दौरान 20 अगस्त दिन बुधवार को लोकसभा में जब पेश किया गया, तब सदन में अभूतपूर्व हंगामा दिखा। कह सकते हैं कि अचानक दृश्यों के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। अब इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति सुझाव मांगेगी और अपने संशोधनों के साथ सदन में भेजेगी। तब कहीं जाकर चर्चा होगी और विधेयक पास हो पाएगा। लेकिन जिस तरह विपक्ष इस विधेयक की राह में अड़ी खड़ा रहा है, उससे लगता नहीं कि संयुक्त समिति में भी इसे आसानी से वह आम राय बनाने देगा और भ्रष्टाचार के खात्मे की दिशा में मील का पत्थर माना जाने वाला यह विधेयक पास हो पाएगा। अव्वल तो होना यह चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोकने, सर्वोच्च स्तर तक के लोगों को जवाबदेह बनाने वाले विधेयक पर पक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी साथ होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा मचाए हुए है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस विधेयक के प्रावधान क्या हैं। जिन पाठकों को संसद की संयुक्त समिति की जानकारी नहीं है, उनके लिए यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि यह समिति आखिर है क्या और इसका क्या अधिकार है? इस संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि जो भी मंत्री, किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रहेगा, वह अपना पद खो देगा। इस कानून के तहत ‹कोई मंत्री, पद पर रहते हुए लगातार तीस दिनों की अवधि के दौरान, किसी ऐसे कानून के तहत किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है, जिसके तहत पांच वर्ष या उससे अधिक जेल हो सकती है, उसे हिरासत में लिए जाने के इकतीसवें दिन तक मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस विधेयक में कहा गया है कि, ‹यदि ऐसे मंत्री को हटाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह इकतीसवें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, तो वह उसके बाद खुद-ब-खुद मंत्री नहीं रह पाएगा। विपक्षी निशाने पर आया यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करेगा, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस विधेयक में मंत्री के जेल से वापस आने के बाद को लेकर स्पष्टता तो नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जब मंत्री जेल से रिहा हो जाएगा तो क्या होगा? वैसे माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों के तहत, सैद्धांतिक रूप से यह संभव हो सकेगा कि संबंधित मंत्री जेल से बाहर आने के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इस विधेयक की उपधारा एक का प्रावधान कहता है कि कोई बात ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने पर राष्ट्रपति द्वारा बाद में मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी।› विपक्ष को लगता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर विपक्षी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। वैसे माना जा रहा है कि शराब नीति घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया, तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसकेपहले तक होता रहा है कि जब किसी मंत्री या मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं तो गिरफ्तारी के पहले ही वे इस्तीफा देते रहे हैं। 1997 में चारा घोटाले में जब लगा कि लालू यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह 2024 में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगा कि वे गिरफ्तारी से नहीं बच पाएंगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया गया था। लेकिन केजरीवाल ने तब इस्तीफा दिया,जब उन्हें जेल में रहते किसी फाइल पर हस्ताक्षर करने या जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री के दफ्तर ना जाने की शर्त सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। विपक्ष का तर्क है कि केंद्र सरकार अक्सर बदले की भावना के साथ काम करती है और उसके निर्देशन में काम करने वाला प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई जब चाहे किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद ये एजेंसियां ऐसे आरोप लगा सकती हैं, जिनके तहत उन्हें महीनों तक जमानत नहीं मिल सकती। तब इस विधेयक के जरिए किसी भी विपक्षी सरकार को गिराया जा सकता है। यही वजह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश किया तो संसद में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने 2010 में सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गृह मंत्री की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। हालांकि, शाह ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जानते हैं कि संसद की संयुक्त समिति क्या है? संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी संसद द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जाँच के लिए गठित की जाती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, संविधान के 130वां संशोधन विधेयक, 2025 को विपक्षी हंगामे और मांग के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 31 सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। वैसे तो समिति से रिपोर्ट हासिल करने की कोई मियाद तय नहीं है,लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने मांग की है कि समिति संसद के अगले यानी शीत सत्र के पहले दिन से पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। संसदीय नियमों के अनुसार, जेपीसी का कार्यक्षेत्र उसके गठन के प्रस्ताव पर निर्भर करता है। हालांकि इसकी सिफ़ारिशें प्रभावशाली होती है, लेकिन वे सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं। इस बीच बीजेपी ने 25 अगस्त, 2025 को विपक्षी हंगामे के खिलाफ कड़ा बयान दिया। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया 130 वां संविधान संशोधन विधेयक ‹राजनीति में नैतिकता और सुशासन को मजबूत करेगा› और ‹भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करने के लिए एक प्रभावी हथियार› के रूप में काम करेगा। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक ओर समूचा राष्ट्र इस पहल का स्वागत कर रहा है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल ‹केवल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए› इसका विरोध कर रहे हैं।

बीजेपी विपक्ष को ‹बहिष्कार ब्रिगेड› बताते हुए यह भी कहने से नहीं हिचकी कि विपक्ष यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लोकतंत्र में नहीं, अपने परिवार और सत्ता की रक्षा में ही दिलचस्पी है। बीजेपी का मानना है कि कि यह विधेयक सुशासन की सबसे बड़ी बाधाओं - भ्रष्टाचार और अपराध - को दूर करने के लिए संसद में पेश किया गया है। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के सामने सबको बराबर का दर्जा हासिल है। फिर भी हकीकत यह है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी दो दिन भी जेल में रहा, तो उसे सेवा नियमों के तहत स्वतः ही निलंबित कर दिया जाता है। जबकि महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों पर यह प्रावधान नहीं लागू होते। बीजेपी का तर्क है कि प्रस्तावित कानून के दायरे में मंत्री,मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री भी आएंगे। बीजेपी का कहना है कि सामाजिक न्याय और समानता का पाठ पढ़ने वाले दलों के लोग चाहते हैं कि उच्च पदों पर बैठे मंत्री या मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे से सरकार चलाएं। बीजेपी का तंज है कि यह समानता और सामाजिक न्याय का उपहास है।वैसे ध्यान रखना होगा कि लिली थॉमस मामले के बाद नियम बनाया गया कि अगर किसी सांसद को दो साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बीजेपी का तर्क है कि उसकी सरकार एक तरह से इसी नियम को सार्वजनिक जीवन में शुचिता के लिए, और आगे बढ़ा रही है। जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। भारतीय समाज में भ्रष्टाचार गहरे तक जड़ें जमा चुका है। राजनीति का आज दूसरा अर्थ ही भ्रष्टाचार हो गया है। पड़ोसी चीन जैसे देश में भ्रष्टाचार की सजा मौत तक है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि जिन देशों के लोकतंत्र और संसदीय परंपरा की हम खूब दुहाई देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उन देशों में भी भ्रष्टाचार को लेकर नो टालरेंस की नीति है।

सम्पादकीय...

भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म जयंती

भारतीय संस्कृति और संगीत से लगाव रखने वालों के लिए आज 8 सितंबर का दिन बहुत खास है और विशेषकर इस दिन के साथ असम के मेरे भाइयों और बहनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म जयंती है। वे भारत की सबसे असाधारण और सबसे भावुक आवाज़ों में से एक थे। ये बहुत सुखद है कि इस वर्ष उनके जन्म शताब्दी वर्ष का आरंभ हो रहा है। यह भारतीय कला-जगत और जन-चेतना की दिशा में उनके महान योगदानों को फिर से याद करने का समय है। भूपेन दा ने हमें संगीत से कहीं अधिक दिया। उनके संगीत में ऐसी भावनाएं थीं जो धुन से भी आगे जाती थीं। वे केवल एक गायक नहीं थे, वे लोगों की धड़कन थे। कई पीढ़ियां उनके गीत सुनते हुए बड़ी हुई। उनके गीतों में हमेशा करुणा, सामाजिक न्याय, एकता और गहरी आत्मीयता की गूंज है। भूपेन दा के रूप में असम से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी कालजयी नदी की तरह बहती रही। भूपेन दा सशरीर हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। वो आवाज आज भी सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। उसमें मानवता का स्पर्श है। भूपेन दा ने दुनिया का भ्रमण किया, समाज के हर वर्ग के लोगों से मिले लेकिन वे असम में अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। असम की समृद्ध मौखिक परंपराएं, लोकधुनें और सामुदायिक कहानी कहने के तरीकों ने उनके बचपन को गढ़ा। यही अनुभव उनकी कलात्मक भाषा की नींव बने। वे असम की आदिवासी पहचान और लोगों के सरोकार को हर समय साथ लेकर चले। बहुत छोटी उम्र से उनकी प्रतिभा लोगों को नजर आने लगी। केवल पांच वर्ष की उम्र में उन्होंने सार्वजनिक मंच पर गाया। वहां लक्ष्मीनाथ बेज़बरुआ जैसे असमिया साहित्य के अग्रदूत ने उनके कौशल को पहचाना। किशोरावस्था तक पहुंचते-पहुंचते उन्होंने अपना पहला गीत रिकॉर्ड कर लिया लेकिन संगीत उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू था। भूपेन दा भीतर से एक बौद्धिक व्यक्तित्व थे। जिज्ञासु, साफ बोलने वाले, दुनिया को समझने की अटूट चाह रखने वाले। ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद राभा जैसी सांस्कृतिक दिग्गजों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया। सीखने की यही लगन उन्हें कॉटन कॉलेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तक ले गई। वो बीएचयू में राजनीति शास्त्र के छात्र थे लेकिन उनका अधिकतर समय संगीत साधना में बीतता था। बनारस ने उन्हें पूरी तरह संगीत की तरफ मोड़ दिया। काशी का सांसद होने के नाते मैं उनकी जीवन यात्रा से एक जुड़ाव महसूस करता हूं और मुझे बहुत गर्व होता है। काशी से आगे बढ़ी जीवन यात्रा में फिर उन्होंने अमेरिका में कुछ समय बिताया। वहां उन्होंने अपने समय के नामचीन विद्वानों, विचारकों और संगीतकारों से संवाद किया। वे पॉल रोबसन से मिले जो दिग्गज कलाकार और सिविल राइट्स नेता थे। रोबसन का गीत ‹ओल्ड मैन रिवर› उनके कालजयी गीत 'बिस्टीर्नो पोरे' की प्रेरणा बना। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला एलेनॉर रूजवेल्ट ने भारतीय लोकसंगीत प्रस्तुतियों के लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया। भूपेन हजारिका संगीत के साथ ही मां भारती के भी सच्चे उपासक थे। भूपेन दा के पास अमेरिका में रहने का विकल्प था लेकिन वे भारत लौट आए और संगीत साधना में डूब गए। रेडियो से लेकर रंगमंच तक, फिल्मों से लेकर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री तक, हर माध्यम में वे पारंगत थे। जहां भी गए नई प्रतिभाओं को समर्थन दिया। भूपेन दा की रचनाएं काव्यात्मक सौंदर्य से भरी रहीं और साथ-साथ उन्होंने सामाजिक संदेश भी दिए। गरीबों को न्याय, ग्रामीण विकास, आम नागरिक की ताकत, ऐसे अनेक विषय उन्होंने उठाए। उनके गीतों ने नाविकों, चाय बागान के मजदूरों, महिलाओं, किसानों की आकांक्षाओं को आवाज दी। उनकी रचनाएं लोगों को पुरानी स्मृतियों में ले जाती थीं, साथ ही उन्होंने आधुनिकता को देखने का एक सशक्त नजरिया भी दिया। बहुत से लोग, खासकर सामाजिक रूप से वंचित तबकों के लोग, उनके संगीत से शक्ति और आशा पाते रहे और आज भी पा रहे हैं। भूपेन दा की जीवन यात्रा में एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। उनकी रचनाओं ने भाषा और क्षेत्र की सीमाएं तोड़कर एकजुट किया। उन्होंने असमिया, बांग्ला और हिन्दी फिल्मों के लिए संगीत रचा। उनकी आवाज में जो पीड़ा थी वो बरबस हम सभी का ध्यान खींच लेती थी। दिल हूम हूम करे' में जो पीड़ा बहती है वो सीधे दिल की गहराइयों को छू लेती है और जब वे पूछते हैं, 'गंगा बहती है क्यूं, तो ऐसा लगता है मानो हर आत्मा को झकझोर कर जवाब मांग रहे हों। उन्होंने पूरे भारत के सामने असम को सुनाया, दिखाया, महसूस कराया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आधुनिक असम की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने में उनका बड़ा योगदान रहा। असम के भीतर और दुनिया भर के असमिया प्रवासियों, दोनों के लिए वो असम की आवाज बने। भूपेन दा राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी जनसेवा की दुनिया से जुड़े रहे। 1967 में वे असम के नौबोइचा से निर्दलीय विधायक चुने गए। यह दिखाता है कि लोगों को उन पर कितना गहरा विश्वास था। उन्होंने राजनीति को अपना करियर नहीं बनाया लेकिन हमेशा लोगों की सेवा में जुटे रहे। भारत की जनता और भारत सरकार ने उनके योगदान का सम्मान किया। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, दादासाहेब फाल्के अवार्ड समेत कई सम्मान मिले। 2019 में हमारे कार्यकाल के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला। यह मेरे लिए और एनडीए सरकार के लिए भी सम्मान की बात थी। दुनिया भर में, खासकर असम और उत्तर-पूर्व के लोगों ने इस अवसर पर खुशी जताई। यह उन सिद्धांतों का सम्मान था, जिन्हें भूपेन दा दिल से मानते थे। वो कहते थे कि सच्चाई से निकला संगीत किसी एक दायरे में सिमट कर नहीं रहता। एक गीत लोगों के सपनों को पंख लगा सकता है और दुनियाभर के दिलों को छू सकता है। मुझे 2011 का वह समय याद है जब भूपेन दा का निधन हुआ। मैंने टीवी पर देखा, उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग पहुंचे।

प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता कहर

भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध भौगोलिक संरचना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है लेकिन हर साल मानसून के आगमन के साथ यह देश प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाता है। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण होने वाली तबाही ने न केवल जन-धन की हानि की है, बल्कि सरकारी तंत्र की नाकामी और भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। भारत में मानसून का मौसम जून से सितंबर तक रहता है और इस दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं अब आम हैं। हाल के महीनों में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग लापता हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी अगस्त 2025 में भारी बारिश के कारण दर्जनों सड़कें बंद हो गईं और कई लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि सरकारी तंत्र इन आपदाओं को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने में क्यों असफल हो रहा है? बादल फटने की घटनाएं, जिन्हें भारत मौसम विज्ञान विभाग 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक बारिश के रूप में परिभाषित करता है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में आम हैं। ये घटनाएं न केवल प्राकृतिक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों जैसे अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप के कारण और भी घातक हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की तीव्रता बढ़ रही है जिससे बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं अधिक बार और अधिक विनाशकारी हो रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में अपने बयान में कहा कि पहाड़ी राज्यों में होने वाले निर्माण और नुकसान के लिए 'घर में बैठकर तैयार की गई फर्जी डीपीआर बनाने वाले दोषी (कल्प्रिट) हैं। ये लोग बिना जमीनी हकीकत जाने हुए डीपीआर बना देते हैं जिससे ऐसे हादसे होते हैं।' यह बयान न केवल सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी कितनी घातक हो सकती है। डीपीआर जो किसी भी योजना का बुनियादी ढांचा व आधार होती है, में अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती जाती है तो इसका परिणाम ऐसे हादसों व त्रासदियों के रूप में सामने आता है। इसे 'करप्शन ऑफ़ डिजाइन' कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय भूगर्भीय और पर्यावरणीय कारकों को नजरअंदाज करना आम बात हो गई है। गडकरी का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि कई परियोजनाओं के लिए डीपीआर बिना स्थानीय भूगोल और जलवायु की गहन जांच के तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में जहां भूस्खलन और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, सड़क निर्माण के लिए अक्सर पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जाता है जिससे ढलान अस्थिर हो जाते हैं। यह न केवल भूस्खलन को बढ़ावा देता है, बल्कि नदियों में मलबे का प्रवाह भी बढ़ता है जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती है। भारत में बाढ़ और जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने में सरकारी तंत्र की विफलता कई स्तरों पर दिखाई देती है। सबसे पहले तो हमारी आपदा प्रबंधन की तैयारी ही अपर्याप्त है। उत्तराखंड में 2013 की केदारनाथ त्रासदी, जिसमें 6,000 से अधिक लोग मारे गए थे।

2021 की चमोली आपदा, जिसमें 200 से अधिक लोग हिमस्खलन और बाढ़ की चपेट में आए। इन हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार को पहले से चेतावनी और तैयारी की जरूरत है। फिर भी, हर साल न सिर्फ एक जैसी आपदाएं दोहराई जाती हैं बल्कि राहत और बचाव कार्यों में देरी और अव्यवस्था भी दिखाई देती है। दूसरा, जल निकासी प्रणालियों की कमी और रखरखाव की अनदेखी भी एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरी क्षेत्रों में, जहां 2024 में 108 मिमी बारिश ने भारी जलभराव पैदा किया, नालों की सफाई और उचित जल निकासी की कमी साफ दिखाई दी। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के किनारे अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण ने प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित किया है जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तीसरा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके सड़क निर्माण हो तो शायद भूस्खलन में रोकथाम हो सके लेकिन वास्तव में स्थानीय लोगों की सलाह को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और परियोजनाएं केवल ठेकेदारों और अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सरकार और समाज मिलकर एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। सबसे पहले, डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना होगा। भूगर्भीय सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और स्थानीय विशेषज्ञों की राय को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरा, आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना होगा। इसमें न केवल राहत और बचाव की तैयारी शामिल होनी चाहिए, बल्कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जैसे कि बादल फटने की निगरानी को भी मजबूत करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भूस्खलन और जलभराव की संभावना वाले स्थानों की पहचान के लिए किया जाना चाहिए।

इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देनी होगी। जंगलों की कटाई को रोकना, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना और अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इको-सेंसिटिव जोन में निर्माण को सख्ती से विनियमित करना होगा। भारत में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की त्रासदियां केवल प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि मानवीय लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी परिणाम हैं।

राम और कृष्ण की कथा में है अमृत धारा

पौराणिक मान्यताओं में एक दिलचस्प संदर्भ आता है, एक दिन महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति है, जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा सके? नारद जी तीनों लोक में भ्रमण करते थे और दुनिया के पहले पत्रकार के रूप में जानकारियों से संदैव लैस रहते थे। उन्होंने पलक झपकते ही इक्ष्वाकु वंश के श्रीराम का नाम लिया। वही श्रीराम पिछले हजारों वर्षों से हमारे हृदय में न केवल भगवान के रूप में विराजमान हैं बल्कि हमारी प्रेरणा के प्रमुख स्रोत भी बने हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक मुझे प्रभु श्रीराम के इस संदर्भ की याद क्यों आ गई और आपके साथ इसे क्यों साझा कर रहा हूं? दरअसल इस वक्त मेरे गृह नगर यवतमाल में प्रखर विद्वान कथाकार श्री मोरारी बापू राम कथा कह रहे हैं, जब मैं आयोजन की तैयारियों में व्यस्त था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो जैन धर्म को मानने वाले हैं, फिर, आपके नेतृत्व में रामकथा का ये आयोजन क्यों? मैं ऐसे सवालों का कारण समझता हूं, धर्म इतने भागों में बंट चुका है कि धर्म के मूल्यों के एक होने की बात लोगों के दिमाग से उतर चुकी है। मैं बड़ी सहजता से जवाब देता हूं कि धर्म के मूल को समझिए तो ये बात समझ में आएगी कि जैन धर्म का कोई अनुयायी प्रभु श्रीराम की कथा से क्या अर्जित कर रहा है? सबसे पहले मेरी मां वीणा देवी दर्डा और बाद में मेरी पत्नी ज्योत्सना ने धर्म के मूल तत्वों को समझते हुए मुझसे कहा था कि आराधना के मार्ग अलग हो सकते हैं लेकिन सभी धर्मों का उद्देश्य एक है, प्रभु श्रीराम और प्रभु श्रीकृष्ण का जीवन मानव जाति के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमें कथा करानी चाहिए, तब तक साध्वी प्रीति सुधा जी का चातुर्मास हम करा चुके थे और हमने महसूस किया था कि उनके प्रवचनों को सुनने के लिए जैनियों के साथ ही बड़ी संख्या में दूसरे धर्मों के लोग भी आए थे। जब हमने श्री रमेश भाई ओझा की श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया तब भी सभी धर्मों के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। अब यही बात मैं श्री मोरारी बापू की श्रीराम कथा में भी महसूस कर रहा हूं। श्री मोरारी बापू हों, श्री रमेश भाई ओझा हों, जया किशोरी जी हों या इन जैसे अन्य संतों के प्रति समाज में एक अलग तरह की विश्वसनीय धारणा है कि ये संत समाज को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संतत्व का चोला पहन कर जादूगर की तरह चमत्कार दिखाते हैं और उसे दैवीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कई बार राजनीति अपने फायदे के लिए इनका उपयोग भी करती है लेकिन इससे समाज का बहुत अहित होता है। चमत्कार की इस प्रवृत्ति से शायद ही कोई धर्म बचा हो। धर्म में 'हम बेहतर' की प्रवृत्ति ने भी समाज और धर्म का बहुत अहित किया है। ऐसे आयोजन के पीछे मेरा उद्देश्य धार्मिक कतई नहीं है बल्कि उद्देश्य यह है कि समाज को संस्कारित करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए।

सोशल मीडिया को शांत करने से नेपाल हुआ अशांत

नीरज कुमार दुबे ।

नेपाल में सरकार द्वारा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध ने देश के राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। यह केवल डिजिटल नीति का सवाल नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवा चेतना के लिए एक गंभीर चुनौती है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें युवा पीढ़ी अपने विचार व्यक्त करने, दोस्तों से जुड़ने और वैश्विक घटनाओं से अपडेट रहने के लिए इस्तेमाल करती है, उन पर बैन लगाने से युवाओं में गहरी नाराजगी और असंतोष पैदा हुआ है। युवा पीढ़ी पहले ही देश की कमजोर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से तंग आ चुकी है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर पाबंदी ने उनकी निराशा को और बढ़ा दिया है। हाल ही में 'नेपो किड्स' यानि राजनीतिक परिवारों के बच्चों के विरुद्ध उभरे गुस्से और काठमांडू में जेनरेशन जेड के युवाओं का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वह अब अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करेंगे। यह चेतावनी है कि यदि सरकार युवा वर्ग की भावनाओं को समझने में विफल रही, तो राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। देखा जाये तो इस घटनाक्रम का भारत और दक्षिण एशिया के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश है। नेपाल भारत का निकटतम पड़ोसी और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। वहां की अस्थिरता न केवल सीमा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है, बल्कि चीन जैसे बाहरी प्रभावों को बढ़ावा देने का अवसर भी दे सकती है। हाल ही में ओली सरकार का चीन के प्रति झुकाव, पश्चिम और जापान से दूरी और सीमा विवादों में आक्रामक रुख ने यह संकेत दिया है कि नेपाल अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद विदेशी प्रभावों के जाल में फंसता जा रहा है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया को कानूनी और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप नियंत्रित करना आवश्यक था, लेकिन इसे कैबिनेट निर्णय के माध्यम से लागू करना और विवादास्पद प्रावधान लागू करना– जैसे 'समस्याग्रस्त सामग्री' को 24 घंटे में हटाना, जैसी नीति को

नेपाल सरकार को इस स्थिति को संभालने के लिए संतुलित और पारदर्शी रुख अपनाना होगा। सबसे पहले, युवा नेताओं और प्रदर्शनकारियों के साथ खुले संवाद की आवश्यकता है। सोशल मीडिया एप्स पर प्रतिबंध का उद्देश्य और कानूनी आधार स्पष्ट करना जरूरी है ताकि जनता को यह विश्वास हो कि यह कदम सिर्फ डिजिटल सुरक्षा और कानूनी संगति के लिए उठाया गया है, न कि युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए। इसके साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को नियंत्रित करने के लिए एक समग्र और न्यायसंगत कानून तैयार किया जाना चाहिए, न कि केवल कैबिनेट निर्णय या तात्कालिक आदेश पर जोर देना चाहिए।

विवादास्पद प्रावधानों की समीक्षा और विशेषज्ञ सलाह से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कानून निष्पक्ष और संतुलित हो। इसके अलावा, युवाओं की भागीदारी और उनके सुझावों को नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना भी आवश्यक है। उनके दृष्टिकोण को गंभीरता से लेने से यह संदेश जाएगा कि सरकार उनकी आवाज़ को महत्व देती है। साथ ही, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई से बचना चाहिए और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से समाधान खोजा जाना चाहिए।

थोपना गलत था। पहले ही दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। श्रीलंका, पाकिस्तान और अब नेपाल के हालात यह संदेश देते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रह सकता; इसे जीवित बनाए रखने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता, उनके अधिकार, शासन में पारदर्शिता और संवेदनशील कूटनीति की रक्षा आवश्यक है। नेपाल की सरकार को अब यह समझना होगा कि विदेशी ऐप्स को कानूनी दायरे में लाना उचित है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने युवाओं और नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करें। युवा पीढ़ी देश के भविष्य के निर्माता हैं; उनकी आवाज़ को दबाना, उन्हें अपमानित करना और डिजिटल माध्यमों पर नियंत्रण लगाना केवल अस्थायी समाधान होगा, जबकि अस्थिरता और सामाजिक तनाव स्थायी रूप से बढ़ सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, सोशल मीडिया पर पाबंदी और युवा विरोध प्रदर्शन न केवल वहां की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि यह भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं। नेपाल भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच खुले सीमावर्ती संबंध, सामाजिक-सांस्कृतिक मेलजोल और आर्थिक संबंध गहरे हैं। ऐसे में नेपाल में बढ़ती अस्थिरता का सीधे प्रभाव भारत की सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती इलाकों की स्थिरता और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों पर पड़ सकता है। नेपाल में युवाओं का आक्रोश और विरोध प्रदर्शन यह संकेत देते हैं कि सरकार और जनता के बीच विश्वास का संकट गहरा रहा है। अगर यह स्थिति और बिगड़ी तो चीन अपना प्रभाव वहां और बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। चीन पहले से ही नेपाल में अपनी पकड़ बनाये हुए है। ऐसे में नेपाल के लोकतांत्रिक संस्थानों में अविश्वास और अशांति बढ़ी तो यह भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है। इसके अलावा, नेपाल में सामाजिक असंतोष और राजनीतिक अशांति सीमा पार अपराध, तस्करी और अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। नेपाल में मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगना युवाओं में निराशा और विद्रोह की भावना को और बढ़ाता है, जो लंबे समय में भारत के लिए सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से जोखिम बन सकता है। इसलिए भारत को नेपाल के हालात पर सतर्क नजर रखनी चाहिए। यह सतर्कता केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें कूटनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास शामिल होना चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि नेपाल के अंदरूनी संकट भारत-नेपाल संबंधों को प्रभावित न करें और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। देखा जाये तो नेपाल में बिगड़ते हालात भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा मामला भी है। इसलिए भारत को सक्रिय, सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। नेपाल सरकार को इस स्थिति को संभालने के लिए संतुलित और पारदर्शी रुख अपनाना होगा। सबसे पहले, युवा नेताओं और प्रदर्शनकारियों के साथ खुले संवाद की आवश्यकता है। सोशल मीडिया एप्स पर प्रतिबंध का उद्देश्य और कानूनी आधार स्पष्ट करना जरूरी है ताकि जनता को यह विश्वास हो कि यह कदम सिर्फ डिजिटल सुरक्षा और कानूनी संगति के लिए उठाया गया है, न कि युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए। इसके साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को नियंत्रित करने के लिए एक समग्र और न्यायसंगत कानून तैयार किया जाना चाहिए, न कि केवल कैबिनेट निर्णय या तात्कालिक आदेश पर जोर देना चाहिए।

विवादास्पद प्रावधानों की समीक्षा और विशेषज्ञ सलाह से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कानून निष्पक्ष और संतुलित हो। इसके अलावा, युवाओं की भागीदारी और उनके सुझावों को नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना भी आवश्यक है। उनके दृष्टिकोण को गंभीरता से लेने से यह संदेश जाएगा कि सरकार उनकी आवाज़ को महत्व देती है। साथ ही, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई से बचना चाहिए और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से समाधान खोजा जाना चाहिए। डिजिटल शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रमों के जरिए युवा समाज को जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग की ओर प्रेरित किया जा सकता है। बहरहाल, देखा जाये तो नेपाल सरकार के सामने यह चुनौती केवल सोशल मीडिया नियंत्रण की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और युवा चेतना को बनाए रखने की भी है। संतुलित, पारदर्शी और संवादात्मक रुख अपनाकर ही सरकार युवा नाराजगी को शांत कर सकती है और देश में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08863)

परियोजनाओं में देरी को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ ।

प्रशासनिक सचिव स्तर पर गहन समीक्षा के दिए निर्देश

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में चलाई जा रही कई परियोजनाओं के पूरा होने में हो रहे विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी परियोजनाओं की प्रशासनिक सचिवों के स्तर पर गहन समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग का दायित्व भी है, ने इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को एक पत्र जारी किया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों या संस्थाओं की 'चल रही परियोजनाओं एवं मध्यस्थता मामलों' की व्यापक समीक्षा करें। साथ ही, विभागों को अधूरी अथवा लंबित परियोजनाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भेजने को कहा गया है, जिसमें 'वित्तीय प्रभाव, विलंब के कारण, जवाबदेही तथा शीघ्र पूर्णता के लिए उपाय' स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएँ। 'लंबित बजट घोषणाओं' और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। एक अन्य पत्र में विभागों से कहा गया है कि वे 'निर्माण कार्यों से संबंधित सभी लंबित मध्यस्थता मामलों' का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें। इसमें परियोजना का विवरण, ठेकेदार या एजेंसी का नाम, वित्तीय दायित्व, गत तीन वर्षों में हुए मध्यस्थता निर्णय एवं उनका राज्य पर वित्तीय प्रभाव सम्मिलित होगा। प्रत्येक विभाग को प्रशासनिक सचिव द्वारा अनुमोदित एक 'संक्षिप्त टिप्पणी' भी संलग्न करनी होगी, जिसमें विषय की गंभीरता, संभावित त्रुटियाँ, मुख्य चिंताएँ एवं 'आगे की कार्ययोजना' का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए इंजीनियर-इन-चीफ की एक समिति भी गठित की गई है, जो इन मामलों की समीक्षा कर उचित सिफारिशें देगी ताकि राज्य को अनावश्यक विलंब और वित्तीय दायित्वों से बचाया जा सके।

प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम : कृष्ण लाल पंवार

चण्डीगढ़ ।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पंचायत मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों को गति देना तथा जनभागीदारी को बढ़ाना है।

इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने चण्डीगढ़ स्थित पंचायत भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने सभी अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। बैठक के उपरांत श्री पंवार ने जानकारी दी कि सरकार का यह कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। जिनमें वृक्षारोपण अभियान, नालों की सफाई, सौर ऊर्जा लाइटिंग की स्थापना व मरमत, तालाबों की सफाई सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा । उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर स्मार्ट गांवों के सरपंचों को सम्मानित भी किया जाएगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम हरियाणा में समावेशी व सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक श्री डी.के. बेहरा, ग्रामीण विकास के निदेशक श्री राहुल नरवाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

करनाल की परियोजना अधिकारी पर लगाया जुर्माना

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने करनाल जिले से संबंधित एक शिकायत पर निर्णय सुनाया। शिकायत में कहा गया था कि महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, निसिंग ने आवेदन को संसाधित करने और जिला कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित करने में अनुचित विलंब किया। इस कारण निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायतकर्ता को लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रकरण को अंतिम तिथि तक निपटाने के बजाय, फाइल को देरी से जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजा गया। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि तथ्यों की समीक्षा के बाद आयोग ने निर्णय दिया कि इस विलंब के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, निसिंग (जिला करनाल) जिम्मेदार हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, करनाल पर इस देरी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अस्वीकार्य मानते हुए, आयोग ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, निसिंग को दोषी ठहराया और उन पर एक हजार रुपये का सांकेतिक दंड लगाया है। यह राशि उनके वेतन से काटकर राज्य कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, आयोग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, करनाल को निर्देशित किया है कि जिले में लंबित सभी मामलों का निस्तारण बिना किसी और विलंब के सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में प्रमाण पत्र 6 अक्टूबर 2025 तक आयोग को भेजा जाए कि 30 जून 2025 से पूर्व दायर कोई भी प्रकरण विभाग में लंबित नहीं है। साथ ही संबंधित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आवेदन की स्थिति सरल पोर्टल पर वास्तविक समय (रियल टाइम) में अद्यतन की जाए, ताकि आवेदक अपने मामलों की प्रगति को देख सकें और अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अनावश्यक अपीलें न हों। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा हेतु पर्याप्त आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए और अधिकारियों को आरटीएस मानकों के पालन के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

'सेवा पखवाड़ा' के तहत 20 सितम्बर को पूरे प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण व रिपेयर कार्यों का होगा शुभारंभ : रणबीर गंगवा

चंडीगढ़ ।

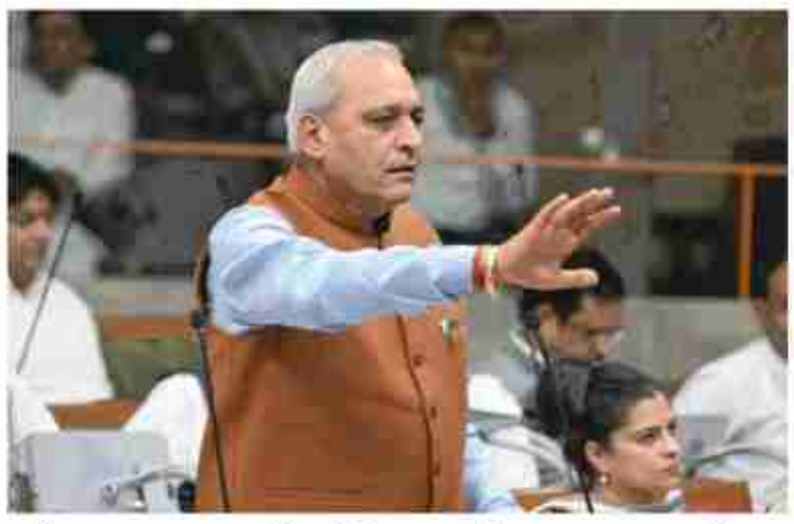

लोक निर्माण मंत्री ने छह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2025 तक 'सेवा पखवाड़ा' आयोजित किया जा रहा है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और एचएसआईआईडीसी द्वारा 20 सितम्बर को पूरे प्रदेश में अपने-अपने विभागों की 75 नई सड़कों का निर्माण कार्य, पुरानी सड़क की मेजर रिपेयर के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा।

श्री रणबीर गंगवा गत सायं यहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ 'सेवा पखवाड़ा' को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 सितम्बर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसी एक स्थान पर मुख्यमंत्री मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा, अन्य स्थानों पर मंत्री, सांसद व विधायक इस कार्यक्रम में शिकरत करेंगे।

'सेवा पखवाड़ा' के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाया जाएगा विशेष सफाई अभियान

श्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि 'सेवा पखवाड़ा' के दौरान बारिश से खराब हुई सड़कों की मरम्मत हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको ठीक किया जाए। इसके साथ ही सभी विश्राम गृहों में विशेष सफाई अभियान एवं पौधारोपण किया जाए और सभी सरकारी अस्पताल भवनों का सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके अलावा, सड़कों के बर्म और सैन्ट्रल वर्ज को ठीक किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 20 सितम्बर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर सम्बंधित विभाग अपने-अपने कार्यक्रमों के स्थान को चिह्नित कर उसकी सूची कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में बनने वाली नई सड़कें मजबूत बनें और जिन सड़कों में पैच वर्क का कार्य होना है उनमें सड़क की सतह के बराबर पैचवर्क किया जाए ताकि सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों को कोई असुविधा न हो। श्री गंगवा ने कहा कि किसी भी प्रदेश की सड़कों की स्थिति से वहां की प्रगति का पता चलता है।

आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सड़क उपयोगकर्ता है। इसलिए प्रदेश की सड़को की हालात अच्छी और मजबूत होनी चाहिए इस अवसर पर बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार ने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की

चंडीगढ़ । हरियाणा के गृह विभाग ने जनहित की रक्षा और वित्तीय अखंडता को बनाए रखने के लिए आज ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते चलन के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ये प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसे व्यापार/समझौते करने का अवसर प्रदान करते हैं जिनमें भुगतान अंतर्निहित घटना के घटित होने या न होने के हाँ/ना प्रस्ताव के परिणाम पर निर्भर करता है, जिसने राज्य और केंद्र दोनों अधिकारियों की गंभीर चिंता को जन्म दिया है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि यह परामर्श भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक विस्तृत पत्र के बाद जारी किया गया है, जिसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े जोखिमों और कानूनी अस्पष्टताओं पर प्रकाश डाला गया है। सेबी के अध्यक्ष श्री तुहिन कांता पांडे ने राज्य सरकार को लिखे एक पत्र में चेतावनी दी है कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर मुनाफा, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग जैसी वित्तीय शब्दावली का उपयोग करके वैध निवेश सेवाओं की नकल करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास हो जाता है कि वे विनियमित प्रतिभूति व्यापार में संलग्न हैं। ये प्लेटफॉर्म निवेश के समान दिखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सेबी के पत्र में कहा गया है, ये प्लेटफ़ॉर्म, प्रतिभूतियों के व्यापार से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करके वैधता का झूठा आभास पैदा कर रहे हैं। डॉ. मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा कि ये प्लेटफ़ॉर्म भले ही अभिनव लगें, लेकिन ये संभावित रूप से कानूनी और नियामक ढाँचों की सीमाओं से बाहर काम कर रहे हैं। उन्होंने अनियमित व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द का हवाला देते हुए कहा, इन प्लेटफॉर्म पर प्रतिभूतियों का कोई भी व्यापार, अगर कारोबार किए गए विचार प्रतिभूतियों के रूप में योग्य हैं, तो अवैध है और अवैध व्यापार के समान है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण अधिनियम, 2025 के तहत उचित कार्रवाई करने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने का निर्देश दिया है। ये कानून उन संस्थाओं पर मुकदमा चलाने का कानूनी आधार प्रदान करते हैं जो अवैध प्रतिभूति व्यापार सहित अनधिकृत वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं। उन्होंने बताया कि सेबी ने आगे स्पष्ट किया है कि विचार-व्यापार उसके नियामक दायरे में नहीं आता है, क्योंकि जिन उपकरणों का व्यापार किया जाता है वे वर्गीकृत नहीं हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में भाग लेने वाले निवेशकों को विनियमित बाज़ारों में आमतौर पर उपलब्ध किसी भी निवेशक सुरक्षा तंत्र द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती है। सेबी की सलाह में चेतावनी दी गई है, निवेशकों और प्रतिभागियों को पता होना चाहिए कि प्रतिभूति बाज़ार के दायरे में कोई भी निवेशक सुरक्षा तंत्र ऐसे निवेश या भागीदारी के लिए उपलब्ध नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने भी ऐसी गतिविधियों को प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, विशेष रूप से धारा 13, 16, 17 और 19 के उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत किया है। ये उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और 2023 में लागू की गई नई आपराधिक संहिताओं के तहत इनकी जाँच की जा सकती है।

अम्बाला छावनी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थाई पानी निकासी हेतु 50 करोड़ की परियोजना : विज

चंडीगढ़ । हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थाई तौर पर पानी निकासी के लिए वॉटर डिस्पोजल टैंक बनाए जाएंगे तथा बड़ी पाइपलाइन और हाईपावर पम्प लगाए जाएंगे ताकि पानी को टांगरी नदी में डाला जा सके। इस कार्य पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग व एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को विस्तृत परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री विज ने मंगलवार को अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में पानी के निकासी प्रबंधों का जायजा लिया और अधिकारियों को कहा कि यहां से जल्द से जल्द पानी निकासी हो। उन्होंने बताया कि बीते तीन दिनों से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और उम्मीद है कि कल शाम तक पूरा पानी निकल जाएगा। कारोबारियों की सुरक्षा संबंधी चिंता पर श्री विज ने इंडस्ट्रियल एरिया की चारदीवारी पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 30 लाख रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन को चाहिए कि चारदीवारी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे क्षेत्र की लाइफलाइन है और यहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए इसकी सुरक्षा और सुविधा दोनों जरूरी हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए श्री विज ने अंबाला एसपी को क्षेत्र में पुलिस स्टाफ स्थाई तौर पर तैनात करने के निर्देश दिए। मौके पर डीएसपी कैंट और थाना महेशनगर के एसएचओ को भी निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए। इस अवसर पर इंडस्ट्रियल एरिया के कई कारोबारी तथा जनस्वास्थ्य, एचएसआईआईडीसी, नगर परिषद और सिंचाई विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

बारापुला फेज-तीन कॉरिडोर के लिए पेड़ काटने और प्रत्यारोपण की मिली मंजूरी, एक दशक से अटकी थी यह परियोजन

नई दिल्ली । एक दशक से अटका बारापुला फेज-तीन कॉरिडोर का काम आखिरकार अब पूरा होगा। केंद्रीय सशक्त समिति (सीइसी) ने परियोजना के लिए पेड़ों को काटने और प्रत्यारोपण की मंजूरी दे दी है। इसके बाद 333 पेड़ों में से 85 पेड़े काटे जाएंगे और बाकी का प्रत्यारोपण होगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने घोषणा की कि अगले एक साल में यह कॉरिडोर पूरा कर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-एक से दक्षिणी दिल्ली के आईएनए तक का सफर सिग्नल फ्री हो जाएगा। बारापुला कॉरिडोर के फेज-1 और फेज-2 पहले ही पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण में सराय काले खां को मयूर विहार फेज-1 से जोड़ने की योजना 2014 में मंजूर हुई थी और अप्रैल 2015 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। पर्यावरण संबंधी अड़चनों और पेड़ों को कटाई-स्थानांतरण के लिए अनुमति न मिलने से यह परियोजना लगभग दस साल से ठप पड़ा था। अब सीईसी की मंजूरी के बाद इस पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। परियोजना की लागत भी समय के साथ बढ़ी है। शुरुआती अनुमान 964 करोड़ रुपये का था, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 1330 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर को पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया है। यमुना के सक्रिय प्रवाह क्षेत्र में कम से कम पिलर लगाने के लिए पियर-सपोर्टेड संरचना और एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कॉरिडोर में दोनों ओर तीन-तीन लेन होंगी। साथ ही आठ लूप बनाए जा रहे हैं, जिनमें चार सराय काले खां और चार मयूर विहार पर होंगे। इसके अलावा पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक और फुटपाथ बनाए जाएंगे।

333 पेड़ों में से 85 काटे जाएंगे

सीईसी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी और वन विभाग ने संयुक्त सर्वे कर पेड़ों का मूल्यांकन किया। इसमें पेड़ों की संख्या, प्रजाति और स्थान का ब्योरा लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन में कुल 155 पेड़ हैं। इनमें से 10 पेड़ों को काटना होगा, 34 का प्रत्यारोपण किया जाएगा और 111 को सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं साउथ फॉरेस्ट डिवीजन में कुल 178 पेड़ हैं। इनमें से 75 को काटना पड़ेगा, 53 का प्रत्यारोपण होगा और 50 को बचाया जाएगा। कुल 333 पेड़ों में से 85 काटे जाएंगे, 87 का प्रत्यारोपण होगा और 161 को संरक्षित रखा जाएगा। कई पेड़ों को सिर्फ हल्की छंटाई या ट्रिमिंग की जरूरत होगी।

एनएच-24 पर कम होगा वाहनों का दबाव

यह कॉरिडोर एनएच-24, डीएनडी फ्लाई-वे और रिंग रोड पर यातायात का दबाव घटाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही यह बहु-मॉडल ट्रांजिट हब जिसमें एनसीआरटीसी, रेलवे, आईएसबीटी, मेट्रो और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे शामिल है तक सीधी और सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगा। अनुमान है कि इसके शुरू होने के बाद दिल्ली में प्रतिदिन करीब 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो लगभग 30 हजार पेड़ों के बराबर है। पेड़ों को बचाने के लिए डिजाइन में बदलाव किए गए, पिलर की स्थिति बदली गई और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया अपनाई गई।

सीईसी और वन विभाग का आभार व्यक्त करता हूं। अगले एक साल में यह कॉरिडोर तैयार कर दिया जाएगा। यह दिल्लीवासियों को जाम से राहत देने के साथ यमुना के बाढ़ क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। - प्रवेश साहिब सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री,

गुलामी की मानसिकता खत्म करनी होगी- योगी

बस्ती।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में कहा कि देश व प्रदेश के छात्र, युवा और नौजवान इंटरनेट मीडिया से दूर रहें। इससे समाज में जाति और धर्म को बांटने का कुचक्र तेजी से फैलाया जा रहा है। इसे सावधान रहने की जरूरत है। विद्याभारती के सरस्वती विद्या मंदिर के नवीन प्रकल्प का बसहवा में शिलान्यास करते हुए कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर के बड़े प्रकल्प को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है।

इसके लिए सभी आचार्यों को हृदय से बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। देश 1947 में स्वतंत्र होता है, उसके बाद नाना जी देशमुख के नेतृत्व में गोरखपुर में पहली शाखा का निर्माण हुआ था। आज प्रदेश के अंदर हजारों शिक्षक देश और राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आजादी के पांच वर्ष बाद इसकी नींव पड़ी। भारत को

सोशल मीडिया से चल रहा धर्म और जातियों को बांटने का कुचक्र : सीएम आदित्यनाथ योगी

- सीएम योगी बोले- शिक्षा से ही बनेगा भारत आत्मनिर्भर
- बस्ती में सीएम ने सरस्वती विद्या मंदिर का किया शिलान्यास
- सीएम योगी ने बस्ती में नौजवानों को किया सावधान

विश्व गुरु बनने में इसका प्रमुख योगदान दिया है। शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है। देश के प्रति समर्पित नहीं है, तो सब बेकार है। यह एक चुनौती थी। सरकार विपरीत थी। बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले लोगों के सहयोग से निर्माण हुआ। उस समय सिर्फ पांच छात्र थे, आज तो 12 हजार से अधिक सिर्फ शिक्षक हैं। यहां से निकलने वाले छात्र समाज को नई दिशा दे रहे हैं, जो मोदी जी के विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पूरी दुनिया में शिक्षा के बाद ही समग्रता का लक्ष्य पूरा होता है। यहां सुयोग्य नागरिक विकसित होने का कार्य किया है। अमृत महोत्सव के शुरुआत में मोदी जी 25 वर्ष के आगामी प्लान की रूप रेखा खिंची है। जिसके कार्य योजना पर आगे के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। इससे आने वाली पीढ़ी सशक्त होगी। जाति और धर्म के नाम पर जब हम बंटे थे तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। अब हमें सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। इस बंधन को तोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेट मीडिया में जाति को जाति, धर्म को धर्म को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। इससे बचना होगा। अच्छी शिक्षा के लिए इसका प्रयोग हो सकता है, बच्चों को सकारात्मक पक्ष के प्रति आगे लाना होगा। तकनीकी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह देश के अनुरूप होना चाहिए। जब दुनियां कोविड काल में पस्त थी तो दूसरी तरह भारत ने उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की। यह नीति कैसे उपयोगी हो सकती है, इसके लिए सरस्वती शिशु मंदिरों ने कदम आगे बढ़ाया है। हम नई तकनीकों से देश को आगे ले जा सकते हैं। अच्छे कार्यों को हम अब एक साथ पूरी दुनियां के सामने आगे ला सकते हैं। यह तकनीक अपने द्वारा संचालित हो, यह टेक्नोलॉजी हमें न संचालित करने लगे, इसके लिए सतर्क रहना होगा। हम अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़, साइबर फ्राड करके व्यक्ति को बेवकूफ बनाने का कार्य हो रहा है। अब हर जनपद में इससे निपटने के लिए साइबर थाना दिया गया है। हमें डिजिटल मीडिया का कम प्रयोग करना है। इससे समय, शरीर के साथ आंखों का नुकसान हो रहा है। सिर्फ कम्पटीशन की तैयारी करें। हमें अपने जीवन को सरल और सुगम बनाना है। इसके पूर्व प्रधानाचार्य गोविन्द सिंह ने बिनु हरि कृपा मिले नहीं सन्ता का उल्लेख करते हुए अतिथियों का स्वागत किया।

सीपी राधाकृष्णन निर्वाचित हुए देश के नए उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्डी को हराया

एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इस चुनाव में कुल 788 लोगों को वोट देने का अधिकार था। जिनमें से 781 ने हिस्सा लिया। मतदान का प्रतिशत 98 फीसदी रहा।

नई दिल्ली । एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आज हुए मतदान में सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शाम पांच बजे मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद छह बजे मतगणना प्रारंभ हुई। मतगणना समाप्त होने के बाद आज देर शाम नतीजे घोषित किए गए। जिसमें एनडीए उम्मीदवार को कुल 452 वोट मिले। जबकि विपक्ष के उम्मीदवार को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए। जिनमें से 752 वैध और 15 अवैध थे। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था। वहीं बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के चार और बीजेडी के सात सांसद हैं। वहीं अकाली दल के सांसद ने बाढ़ के चलते मतदान में हिस्सा लेने से मना कर दिया था।

पीएम मोदी ने किया सबसे पहले मतदान

प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। मोदी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल. मुरुगन के साथ संसद भवन के कमरा संख्या 101, वसुधा में स्थापित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। शुरुआत में मतदान करने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सैयद नासिर हुसैन शामिल थे।

पीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, 1500 करोड़ रुपये देने का एलान

- पीएम ने तत्काल राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का एलान किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट कीं और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने इस दौरान प्रदेश के प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट कीं और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयं सेवकों से भी भेंट की और राहत एवं बचाव कार्यों में उनके साहस और प्रयासों की सराहना की. गग्गल एयरपोर्ट पर पीएम ने मंडी के सराज की गोहर की 11 माह की नितिका के परिवार से भी मुलाकात की. नीतिका की दादी, मां और पिता सराज में आई आपदा में सैलाब में बह गए थे.

पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का एलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर में एक बैठक में नुकसान का आकलन किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा। यह राशि राज्य के पास पहले से उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपये के अलावा होगी। इसके अलावा मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपये की सहायता की घोषणा की है।

देश को उनके बोलने का इंतजार, उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कांग्रेस ने धनखड़ की चुप्पी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली । मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने बीते 50 दिनों से असामान्य चुप्पी साधी हुई है और देश उनके बोलने का इंतजार कर रहा है। बीती जुलाई में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद ही आज फिर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मंगलवार को ही रहे उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सी.पी. राधाकृष्णन और विपक्ष के बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुत हासिल है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए लिखा, पिछले 50 दिनों से धनखड़ ने असामान्य चुप्पी साध रखी है। आज जब उनके उत्तराधिकारी के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो देश उनके अभूतपूर्व और अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद उनके बयान का इंतजार कर रहा है। मोदी सरकार द्वारा किसानों की घोर उपेक्षा और सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार से पैदा खतरों आदि पर अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, उपराष्ट्रपति चुनाव क्यों हो रहे हैं? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? एनडीए को चुनावों में अपना बहुमत साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि भारतीय गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी बहुत मजबूत हैं।

माता वैष्णो देवी यात्रा 14वें दिन भी स्थगित, कटड़ा में हजारों परिवार की रोजी-रोटी पर छाया संकट

कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के स्थगित होने से कटड़ा तहसील के हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर गहरा असर पड़ा है। इस संबंध में मजदूर दस्तकार यूनियन ने माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत एवं मुआवजा पैकेज की घोषणा करने की अपील की है। यूनियन के उप प्रधान बंसी लाल शर्मा ने कहा कि यात्रा पर प्रतिबंध मजदूर, रेहड़ी वाले, पोनीवार, दुकानदार, कारीगर एवं अन्य दैनिक मजदूरी करने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। यात्रा रुकने से इनकी आय का प्रमुख स्रोत बंद हो गया है।

कई परिवार पहले से ही आर्थिक दबाव में थे तथा कुछ ने बैंकों से ऋण भी ले रखा है। अब उनकी मासिक किस्तें चुकाना भी असंभव हो गया है, जिससे वे गहन संकट का सामना कर रहे हैं। बंसी लाल ने उपराज्यपाल से विशेष राहत पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को राशन, गैस सिलेंडर व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने, बैंकों से लिए गए ऋण पर मोरेटोरियम (अस्थायी छूट) देने तथा प्रशासन द्वारा अन्य उपयुक्त कल्याणकारी कदम उठाने का आग्रह किया है।

सरकारों को मिशन मोड में काम करना होगा-राहुल गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि और व्यापक तबाही बेहद दुखद और पीड़ादायक है। बर्बादी की भयावहता को देखते हुए सरकारों को मिशन मोड में काम करना होगा। किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और आम नागरिकों को तुरंत और प्रभावी सहायता मिलनी चाहिए। हमें मिलकर पंजाब के लोगों का हाथ थामना है।

प्रियंका वाड्रा ने कहा-केंद्र आपदा की गंभीरता को समझे

कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पिछले कई दिनों से पंजाब भयंकर बाढ़ की चपेट में है। पंजाब के लोगों, खासकर किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पंजाब के हमारे बहादुर भाई-बहन बड़ी हिम्मत से आपदा का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की गंभीरता को समझते हुए पीड़ितों को जरूरी सहायता पहुंचाएं और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की भी व्यवस्था करें।

मालेगांव ब्लास्ट- साध्वी प्रज्ञा समेत सात को बरी करने वाले फैसले को चुनौती, हाईकोर्ट पहुंचे पीड़ित परिवार

मुंबई । मालेगांव ब्लास्ट मामले में मृतकों के छह परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन परिवारों ने विशेष एनआईए अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था। यह अपील सोमवार को निसार अहमद सैयद बिलाल और अन्य ने अपने वकील मतीन शेख के जरिए दाखिल की। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव की एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल पर बंधा विस्फोटक

फट गया था। यह घटना नासिक जिले के साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में हुई थी। धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 101 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद देशभर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हलचल मच गई थी।

पीड़ित परिवार की दलील

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा दिया गया बरी करने का आदेश गलत और कानून के खिलाफ है। इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवारों ने दलील दी है कि अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज किया और दोषियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

फैसला सुनाते वक्त क्या बोली थी अदालत?

एनआईए कोर्ट के विशेष जज ए. के. लाहोटी ने अपने फैसले में कहा था कि संदेह को सबूत का स्थान नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसे ठोस और भरोसेमंद सबूत पेश करने में नाकाम रहा, जिससे आरोपियों को दोषसिद्ध सुनिश्चित हो सके। इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया।

अभियोजन की दलील और जांच पर सवाल

अभियोजन का आरोप था कि धमाके को दक्षिणपंथी उग्रवादियों ने अंजाम दिया था, जिनका उद्देश्य मालेगांव जैसे संवेदनशील शहर में मुस्लिम समुदाय को आतंकित करना था। लेकिन अदालत ने अभियोजन की जांच और केस में कई खामियों की ओर इशारा किया। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत सबूत इतने मजबूत नहीं थे कि दोष सिद्ध किया जा सके।

कौन-कौन हुआ बरी?

प्रज्ञा ठाकुर और प्रसाद पुरोहित के अलावा मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को भी बरी कर दिया गया। अब पीड़ित परिवार हाईकोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि विशेष अदालत के फैसले की समीक्षा होगी और उन्हें न्याय मिलेगा।

देशभर में सुस्त हुआ मानसून

नई दिल्ली । देश में पिछले एक सप्ताह के दौरान कई हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ देखने को मिली है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों, मैदानी इलाकों और गुजरात में हुआ है। हालांकि, अब 8 से 15 सितंबर के बीच मानसून की रफ्तार थमने के आसार हैं। दरअसल, मध्य भारत से होकर गुजरे लो-प्रेशर एरिया ने दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात में गहरे डिप्रेशन का रूप लेकर जोरदार बरसात करवाई थी। इस दौरान नॉर्थवेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में भी बारिश सामान्य से काफी अधिक दर्ज की गई थी।

सरकारों को मिशन मोड में काम करना होगा-राहुल गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि और व्यापक तबाही बेहद दुखद और पीड़ादायक है। बर्बादी की भयावहता को देखते हुए सरकारों को मिशन मोड में काम करना होगा। किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और आम नागरिकों को तुरंत और प्रभावी सहायता मिलनी चाहिए। हमें मिलकर पंजाब के लोगों का हाथ थामना है।

प्रियंका वाड्रा ने कहा-केंद्र आपदा की गंभीरता को समझे

कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पिछले कई दिनों से पंजाब भयंकर बाढ़ की चपेट में है। पंजाब के लोगों, खासकर किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पंजाब के हमारे बहादुर भाई-बहन बड़ी हिम्मत से आपदा का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की गंभीरता को समझते हुए पीड़ितों को जरूरी सहायता पहुंचाएं और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की भी व्यवस्था करें।

पीएम ओली ने दिया इस्तीफा; राष्ट्रपति-पीएम के घर में आगजनी

नई दिल्ली । नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जेन जेड के विरोध प्रदर्शन बढ़ने के बाद इस्तीफा दिया है। उनके देश छोड़ने की संभावना है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुबई के लिए रवाना हो सकते हैं क्योंकि उनके लिए एक निजी जेट तैयार रखा गया है। प्रधानमंत्री ओली ने नियोजित प्रस्थान से पहले उप-प्रधानमंत्री को कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने पीएम केपी ओली से कहा है कि वे इस्तीफा दे दें। आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल में अब हालात को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहे हैं। सूत्रों ने इसका दावा किया है। इस बीच नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया है। नेपाल के कई हिस्सों में मंगलवार को छात्रों के नेतृत्व में नए सिरे से सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। आज प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और आगजनी की।

नेपाल में बढ़ा बवाल

- प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट फूंका
- रवि लामिछाने को जेल से छुड़ाया
- भारत सरकार ने नागरिकों को नेपाल न जाने की सलाह दी

प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को नेपाल की संघीय संसद को आग के हवाले कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने कल गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग व पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, के घर आगजनी भी की थी। हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के अलावा राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ की। काठमांडू के कलंकी और बानेश्वर के साथ-साथ ललितपुर जिले के चापागांव-थेचो इलाके से भी प्रदर्शनों की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से एकत्र होने पर लगे प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए ''बच्चों को मत मारो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं।

वित्त मंत्री और पूर्व पीएम शेर बहादुर को प्रदर्शनकारियों ने पीटा प्रधानमंत्री ओली के घर में मंगलवार को आग लगा दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कलंकी में प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए टायर जलाए। प्रदर्शनकारियों ने ''केपी चोर, देश छोड़ और ''भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो जैसे नारे लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रदर्शनकारी युवकों ने ललितपुर जिले के सुनाकेठी स्थित संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास पर भी पथराव किया। गुरुंग ने सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के खुमलतार स्थित पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहल 'प्रचंड के आवास पर तोड़फोड़ की। उन्होंने काठमांडू के बुद्धनीलकंठ में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर के सामने भी प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने राजधानी शहर में सुबह साढ़े आठ बजे से अगली सूचना तक कर्फ्यू की घोषणा की। भक्तपुर जिला प्रशासन ने भी मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक, चंगुनारायण और भक्तपुर नगर पालिकाओं में सुबह साढ़े आठ बजे से अगली सूचना तक प्रतिबंध लगा दिए। ललितपुर के मैसपति, सनेपा और च्यासल सहित कई क्षेत्रों में सुबह नौ बजे से मध्यरात्रि तक कर्फ्यू लागू है। सोशल मीडिया साइटों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं द्वारा सोमवार को नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस के बल प्रयोग के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गयी और 300 से अधिक घायल हो गए। हालात बिगड़ने के बाद राजधानी में नेपाली सेना तैनात कर दी गई। सेना के जवानों ने न्यू बानेश्वर स्थित संसद परिसर के आसपास की सड़कों पर नियंत्रण कर लिया। बाद में गृह मंत्री समेत लेखक ने इस स्थिति को लेकर इस्तीफा दे दिया।